22/1/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/2/25 को पेश हो।

12/03/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/04/25 को पेश हो।

3/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 16/4/25 को पेश हों।

16/04/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी हैं। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वास्ते बहस व तलबी अप्रार्थी सं. 11 मिसल दिनांक 21.04.2025 को पेश हो।

21/04/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28.04.2025 को पेश हो।

28/04/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील की प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार से सीमाज्ञान सीमाज्ञान दिनांक 08.03.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.05.26 11:59:
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 08.03.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 08.03.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील आदिनांक तक हाजिर अदालत नही आये जिससे अप्रार्थीगण की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम कस्बा नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 2543, 2544, 2812, 2813, 2814, 2816 कुल किता 06 कुल रकबा 5.44 है0 में प्रार्थी, सहखातेदारान तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 08.03.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.4.25

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 11:59:13 IST
Reason: SelfAttested